

अति—आवश्यक

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग

क्रमांक: F.22(12)Edu-1/2025-26487-6811962

जयपुर, दिनांक :

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान एवं  
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),  
समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :— उप—प्रधानाचार्य (Vice-Principal) के पदों को Dying Cadre घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत उप—प्रधानाचार्य (Vice-Principal) (पे—लेवल 14) कैडर को Dying Cadre घोषित किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 216 दिनांक 19.03.2025 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,  
(ओ.पी.वर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उप—मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव